न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 48 / 2021

हबीब पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासी गडसोरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थी

2. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक कठौल तहसील पहाडी

फौरमल अप्रार्थीगण

4. नौमान पुत्र शब्बीर जाति मेव निवासी ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी

तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :–21 / 01 / 2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 372 / 0.06, 19 / 0.21, 222 / 0.24, 225 / 0.26, 228 / 0.30, 10 / 0.07, 69 / 0.16, 71 / 0.14 हैक्टर बांके ग्राम गडसोरा तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी उक्त आराजी के मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल से कृषि उपयोग हेतु ऋण लिया था और बैंक द्वारा रिकॉर्ड में रहन का नोट लगाने बाबत धारा 6(1) का एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूल वश रिकॉर्ड में पंजाब नेशनल बैंक कठौल के स्थान पर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी का नोट दर्ज कर दिया गया जो कि खिलाफ कानून दर्ज किया गया है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। उक्त गलत इन्द्राज का इल्म प्रार्थी को नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ । अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में गलत इन्द्राज को शुद्ध कराने बाबत प्रस्तुत हुआ लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने रिकॉर्ड में शुद्ध करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने को कहा

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

इसलिये प्रार्थी रिकॉर्ड में भूलवश किये गये गलत इन्द्राज की शुद्धि हेतु न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश व लिपिकीय त्रुटि से हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल का रहन नोट दर्ज करने के आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध दिनांक 17/01/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपना जबाव पेश नहीं करना चाहता इस कारण उनका जवाव वन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाव इस आशय का पेश किया है कि आराजी पंजाब नेशनल बैंक कठौल के नाम रहन रखी हुई है। अतः आराजी पर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल के नाम रहन दर्ज किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाव तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल के नाम रहन दर्ज करने का निवेदन किया है। आराजी पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल से कृषि उपयोग हेतु ऋण लिया था और बैंक द्वारा रिकॉर्ड में रहन का नोट लगाने बाबत धारा 6(1) का एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। परन्तु नामान्तरण संख्या 537 दिनांक 06.09.2016 में रहन पंजाब नेशनल बैंक कठौल के स्थान पर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 372/0.06, 19/0.21, 222/0.24, 225/0.26, 228/0.30, 10/0.07, 69/0.16, 71/0.14 वांके ग्राम गणशोरा तहसील पहाडी पर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाडी के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक कठौल के नाम रहन दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड ... पहाडी

Scanned with CamScanner